रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा. A P P Cell

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

पीडब्ल्यूडी की सडक MDR-151 से सुमेलखुर्द कमांक 113 की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु खसरा नं. 584/1 बनाम

किस्म मुकदमा धारा 131 LRAct नं० 25 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.04.25	तहसीलदार बांदीकुई ने चारागाह भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 22.04.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
22.04.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उप० हमने पैरोकार सरकार बहस सुनी। बहस पर मनन किया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई ने प्रस्ताव में राजस्व ग्राम सुमेलखुर्द स्थित चारागाह भूमि में से मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै० मु० रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। प्रस्ताव में वर्णित चारागाह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै० मु० रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव चारागाह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) [illegible] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

PH:-01420-22848 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :—25/2025
प्रकरण दायर दिनांकः— 21.04.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 22.04.2025

उनवान— राज. सरकार बनाम ग्राम पंचायत देलाडी

राजस्व ग्राम सुमेलखुर्द स्थित चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांकः— 22.04.2025

तहसीलदार बाँदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/रास्ता प्रकरण/2024/798 दिनांकः 10.06.2024 द्वारा राजस्व ग्राम सुमेलखुर्द स्थित चारागाह भूमि खसरा नं. 586 रकबा 27.80 हैक्ट. में से 0.65 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि का प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत पेश किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का देलाडी रिपोर्ट दिनांकः 31.05.2024, आंशिक नकल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074—77 ग्राम सुमेलखुर्द खाता सं. नया 1 पुराना 1, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। प्रस्ताव में उक्त चारागाह भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। प्रस्ताव में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव चारागाह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22/4/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)